बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 2266
महासचिव : {286, 224

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अ
अरुण चन्द्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसा
कृष्ण मुरारी
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 2234

Truth will Triumph

पटना

पत्र संख्या ......05......

दिनांक 15/2/200

सेवा में,

कार्मिक सचिव,
बिहार, पटना ।

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा में बेसिक ग्रेड का वेतनमान 8000-13500 करने के संबंध में ।

महाशय,

पंचम वेतन आयोग की अनुशंसा केन्द्र में लागू होने के बाद बिहार में भी केन्द्रीय वेतनमान लागू करने हेतु पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने हड़ताल किया । दिनांक 21.11.97 को सरकार एवं राजपत्रित पदाधिकारी संघ के बीच हुए समझौता के आलोक में फिटमेंट कमिटी गठित कर उसका टर्म्स ऑफ रिफरेंश निर्धारित किया गया जिसके अनुसार राज्य कर्मियों को भी केन्द्र की तरह हु-बहु वेतन, न कम न ज्यादा निर्धारित करने और जो पद केन्द्र में नहीं हो, उसका प्रतिस्थानी वेतनमान देने की अनुशंसा करना था ।

2. जब राज्य के सारे पदाधिकारी/ कर्मचारी केन्द्रीय वेतनमान के लिए हड़ताल पर चले गये थे, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार से वार्ता कर रास्ता निकालने का काम किया । हम हड़ताल में नहीं गये और हमारा संघ ने सरकार, पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बीच समझौता कराने में अहम भूमिका अदा की । फलस्वरूप सरकार ने स्पष्ट वचन दिनया था कि बिहार प्रशासनिक सेवा के वेतनमान के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की जायेगी । पर फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में हमारे भी बेसिक ग्रेड का वेतनमान 6500-10500 निर्धारित कर दिया गया एवं उपर के वेतनमान में पद सहित वेतनमान की कटौती की गयी तथा वेतनमान की अनुशंसा ही नहीं कि गयी यथा अपर सचिव एवं विशेष सचिव का पद जो हमारे संघ के साथ किये गये वादा के विपरीत था और है । हमने सरकार से उसकी वादा की

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R) 224771 (O)

अध्यक्ष
न्द्र नारायण सिंह
डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
ाधर लाल दास
जी० एल०. दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पटना

ा ....

दिनांक..............................

के अनुरूप सरकार को 8000 से 13500 का वेतनमान दने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

5. क्योंकि अभीतक सरकार द्वारा दिया गया वचन, किया गया वादा और हर बैठकों में दी गयी सांत्वना सब बेकार गया है । लेकिन एक बार हम पुनः सरकार एवं उच्चाधिकारी को उनकी ही बातों का याद दिलाना चाहेगें कि ''बिहार में अगर किसी भी सम्वर्ग को 8000-13500 का वेतनमान दिया जायगा तो बिहार प्रशासनिक सेवा को निश्चित तौर पर दिया जायगा'' । बिहार में कई सेवा सम्वर्गो को 8000-13500 का वेतनमान दिया गया है । उदाहरण निम्न प्रकार है :-

(क) हमारी हड़ताल/समझौते के बाद महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों (कृषि विश्वविद्यालय सहित) के व्याख्याताओं को बेसिक ग्रेड का वेतनमान 8000-13500 का स्वीकत किया गया है ।

(ख) पोलिटेकनिक स्कूल के प्राध्यापकों को भी 8000-13500 को बेसिक ग्रेड स्केल दिया गया है ।

(ग) नेतरहाट विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को 8000-13500 को बेसिक ग्रेड स्केल दिया गया है ।

(घ) म्युजियम सेवा के क्यूरेटर को जिसका पुराना वेतनमान 2000-3500 था, उसे भी 8000-13500 को बेसिक ग्रेड का वेतनमान दिया गया है ।

(ड.) अन्य आवश्यक पहलूओं पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हमारा वेतनमान सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी/ आरक्षी निरीक्षक/ उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समकक्ष होना चाहिए ?. क्योंकि इनका भी बेसिक ग्रेड वेतनमान 6500-10500/- का स्वीकृत किया गया है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
नारायण सिंह
(एन० एन० सिंह)

महासचिव
धर लाल दास
(० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

दिनांक..........................

याद दिलाते हुए काफी अनुरोध किया पर, बेकार गया और बाध्य होकर हमें हड़ताल पर जाना पड़ा ।

3. दिनांक 29.3.99 को सरकार के साथ हमारे शिष्टमंडल की वार्ता हुई जिसमें यह स्वीकार किया गया कि वासा को बेसिक ग्रेड का वेतनमान देने में विसंगति हुई है एवं उनके उच्चतर वेतनमान के साथ ना इंसाफी। वार्ता में शामिल माननीय मुख्य मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री एवं अन्य. उच्चाधिकारियों ने हमें बेसिक ग्रेड का वेतनमान देने के साथ अन्य विसंगतियों के संबंध में दिये गये वचनों को दोहराया और एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया तथा सात दिनों के अन्दर समिति से प्रतिवेदन प्राप्त कर, उसे लागू कराने की बात कही गयी । हमने हड़ताल समाप्त कर दिया पर हमारे लाख कोशिश के बावजूद न उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और न सात दिनों के अन्दर अधिसूचना जारी की गयी । समझौता के बिन्दुओं अनुपालन नहीं होने कारण हमें पर पुनः हड़ताल पर जाना पड़ा । 66 दिनों के हड़ताल में कई दौर की वार्ता उपरान्त सरकार से हमारी 29/29.10.2000 को समझौता हुआ जिसमें हमें आफताब आलम कमिटी में जाने को कहा गया । वार्ता में शामिल मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव एवं गृह आयुक्त तथा अन्य सबों ने हमारे बेसिक ग्रेड के लिए 8000 से 13500 के वेतनमान देने की बात स्वीकार की पर आफताब आलम कमिटी से प्रतिवेदन प्राप्त के बाद । कमिटी का प्रतिवेदन तो प्राप्त हुआ, पर फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा से हट कर नहीं । यहाँ भी हमें छला गया ।

4. वर्त्तमान में बिहार सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा में पदाधिकारियों को 9000 से 14500 (बेसिक) एवं 22850 से 24850 (उच्चतम) वेतनमान देना स्वीकार किया है । यह बिहार प्रशासनिक सेवा के लिये खुशी की बात है कि एक ही वृक्ष के दो टहनी, बिहार सिविल सेवा (कार्यपालिका शाखा) एवं (न्यायपालिका शाखा) में से न्यायपालिका शाखा को ही सही वेतनमान की स्वीकृति सरकार ने दी है । उक्त स्थिति में हम पुनः बिहार सरकार से अभी भी अपने पूर्व की मांग बेसिक ग्रेड 8000 से 13500 देने की स्वीकृति का अनुरोध करते है, क्योंकि अब अखिल भारतीय सेवा की विशिष्टता का प्रश्न समाप्त हो चुका है और हमारी योग्यता कार्यकुशलता चौबीसो घण्टे कार्य करने की बाध्यता, (चुनाव, बाढ़, सुखाड़ आदि में) जो पूर्व से ही प्रमाणित है

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
धर लाल दास
(. एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

.... (च) हमारे लिए बेसिक ग्रेडका वेतनमान 8000-13500 ही होना चाहिए क्योंकि :-

(1) केन्द्र और राज्य में 2200-4000 का प्रतिस्थानी वेतनमान 8000-13500/- का स्वीकृत किया गया है । हमारा वेतानमान2200-4000/- का था, इसलिए 8000-13500/- का हकदार हैं ।

(2) बिहार में नेतरहाट विद्यालय के सहायक शिक्षकों का पुराना वेतनमान 2200-4000 का था और इसे 8000-13500 का स्वीकृत किया गया है तो हमें भी मिलना चाहिए । क्योंकि हमारा भी वेतनमान 2200 से 4000 का था ।

(3) महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय एवं पोलटेकनिक के प्राध्यापकों को 2200-4000 के बदले 8000-13500/- का वेतनमान स्वीकृत किया गया है तो हमें भी मिलना चाहिए ।

(4) बिहार में म्यूजियम सेवा के क्यूरेटरों जिसका पुराना बेसिक ग्रेड स्केल 2200-3500 का था और उसे भी 8000-13500/- स्वीकत किया गया । हमारा भी वेतनमान 2200-4000 का था तो हमें क्यों नही ?

6. केन्द्र में उप-समाहर्त्ता का पद नहीं रहने के कारण हमारी तुलना केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली से की गयी, । तो सरकारको यह सोचना चाहिए कि केन्द्र में नेतरहाट विद्यालय है क्या ? अगर नहीं तो नेतरहाट विद्यालय की तरह हमें भी प्रतिस्थानी वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके बावजूद हमारी तुलना दिल्ली के उप-समाहर्त्ता से किसी भी सुरत में नही की जा सकती है क्योंकि हम केन्द्र शासित राज्य के अन्दर कार्यरत नहीं हैं । हमारी तुलना विभिन्न राज्य के प्रशासनिक सेवा के उप-समाहर्त्ता से की जा सकती है और की जानी चाहिए । जहां उनके लिए 8000 से 13500 रूपये का केन्द्रीय वेतनमान लागू किये गये हैं । बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में बेसिक ग्रेड उप-समाहर्त्ता का वेतनमान 2200-4000 की जगह 8000-13500/- का केन्द्रीय वेतनमान स्वीकृत किया गया है जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल,

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

…ध्यक्ष
…रायण सिंह
(…न० सिंह)
…चिव
…ाल दास
(…० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

…ध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आन्ध्र प्रदेश आदि …था केन्द्र शासित प्रदेश अरूणाचल प्रदेश में भी ।

7. जहाँ तक हमारी सेवा को 8000-13500/- का वेतनमान स्वीकृत करने …र आर्थिक बोझ का सवाल है, हमने कई मौके पर लिखित एवं मौखिक रूप से …ताया है कि वह वार्षिक 37 लाख रूपये से अधिक का नहीं है । अब तो राशि …ौर भी घट गयी होगी क्योंकि 6 साल पुर्व नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को 8000-13500/- वेतनमान मिल ही रहा है । इसलिए अभी तक के नियुक्त उप …माहर्त्ताओं को 8000 से 13500 का वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाये ।

हमने सरकार को फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में कैडर …टा करने का भी सुझाव दिया था, कि प्रखण्ड एवं अंचलों से उप समाहर्त्ता को हटा …िया जाये इसके बदले राजस्व एवं विकास संवर्ग अलग-अलग बनाये जायें । राजस्व …वं विकास संवर्ग से 25 प्रतिशत प्रोन्नति पाकर उप समाहर्त्ता बनाये जायें, ठीक उत्तर प्रदेश की तरह । पांच वर्षो तक उप समाहर्त्ता की नियुक्ति रोक रखी जाय जिससे हमारा संवर्ग 1500-1600 का हो जायेगा और कैडर मैनेजमेंट में कार्मिक विभाग सरकार को सुविधा होगी । प्रोन्नति समय पर होगी सरकार और संघ के बीच कोई टकराव अथवा दुराव नहीं होगा एवं संघर्ष का मौका ही नहीं बन सकेगा ।

विश्वासभाजन,

(signature) 14/12/03
(गंगाधर लाल दास)
महासचिव ।

(signature) 14.12.03
(वजीन्द्र नारायण सिंह)
अध्यक्ष ।